न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ (चूरू)

ब इजलास - पंकज गढ़वाल R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या - 487/2018

निर्णय दिनांक - 13-10-2020

कासमखाँ पुत्र मनीरखाँ जाति कायमखानी निवासी कस्बा राजगढ़ तहसील राजगढ़
जिला चूरू
प्रार्थी

बनाम

1. इस्माईलखाँ पुत्र मुन्नीरखाँ जाति चौहान निवासी वार्ड सं. 17 कस्बा राजगढ़
तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला चूरू
- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा
212 R.T.Act. व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2
धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित :-
1. श्री मो० सलीमखान अधिवक्ता वास्ते - प्रार्थी
2. " महेश अग्रवाल अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थी सं. 1

निर्णय

प्रकरण से सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act व आदेश 39 नियम 1 व 2
सपठित धारा 151 सी.पी.सी. विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया
है कि प्रार्थी विवादित कृषि भूमि ख० न० 882/690 तादादी 1.64 हे० रोही
तहसील राजगढ़ जिला चूरू का खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी सं. 1 ने

...भावशाली व राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है जो उसके खाते की भूमि से
... बेदखल कर कब्जा करने की फिराक में है तथा उसने ऐसा प्रयास भी
किया ... प्रार्थी व पड़ोसियों के आ जाने से सफल नहीं हो सका। अतः अप्रार्थी
... 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के
... में स्वयं का शपथ पत्र व जमाबन्दी की प्रति पेश की है। जवाब प्रार्थना
... में अप्रार्थी सं. 1 ने विवादित कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी के तथ्य को
स्वीकार करते हुए विशेष कथन में अंकित किया है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड
में प्रार्थी ने राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने अकेले के नाम
खातेदारी में दर्ज करवा ली जबकि विवादित कृषि भूमि उनकी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें
प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 बहिस्सा बराबर काबिज काश्तकार है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज
किया जावे। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से पैरोकार राज ने कोई राज्य हित नहीं
होना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने
बहस उभय पक्ष ने अपने-अपने अभिवचनों को ही दोहराया है। अस्थाई
निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण में निम्न बिन्दुओं पर विवेचन कर
निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है।

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त —

उपरोक्त दोनो बिन्दु परस्पर आश्रित है जिस कारण दोनो बिन्दुओं पर
एकसाथ विवेचन कर निर्णय किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तु...
प्रार्थी के स्वयं के शपथपत्र व जमाबन्दी की प्रति के अनुसार प्रार्थी विवादित कृ...
भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी सं. 1 ने विवादित कृषि भूमि
पैतृक होना व उसमें अपना 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त होना जवाब प्रार्थना...
में अंकित किया है मगर सिवाय स्वयं के शपथपत्र के भूमि पैतृक होने व उसमें
हिस्सा पर अपना कब्जा काश्त होने से सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश न...
किया है चूंकि प्रार्थी राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित कृषि भूमि का एकमात्र खाते...
काश्तकार है जिस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है...
खातेदार काश्तकार के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित करने...
खातेदार को ही असुविधा होना स्वाभाविक है जिस कारण उभय पक्ष के अ...
व प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त दोनो बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष में साबि...

करने में सफल रहा हैं/अतः दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं

अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त -

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं के विवेचन के दौरान भूमि के स्वामित्व व कब्जा काश्त प्रार्थी के पक्ष में पाये गये हैं जिस कारण खातेदार काश्तकार के कब्जा काश्त में अजनबी व्यक्ति द्वारा बाधा कारित करनेसे खातेदार काश्तकार को ही क्षति होना स्वाभाविक हैं जबकि अप्रार्थी का विवादित कृषि भूमि के किसी भाग पर वैध या अवैध कब्जा हैं ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं हैं। अतः यह बिन्दू प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा हैं। यह बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में निर्णय के लिए निर्धारित तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त व अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं व इस न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 12.10.2018 को मूलवाद के निर्णय तक पुष्ट किया जाता हैं। अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखल ना करे।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर सेरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)